न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2505 सन 2026
CNR. No.UPSP010062592026

सचिन उर्फ सचिन पंवार पुत्र तरसेम पंवार उर्फ तरशेम पंवार, निवासी ग्राम ढकदेवी, थाना नकुड, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 226/2026
धारा 109(1) बी.एन.एस
3/25/27 आर्म्स एक्ट
थाना नकुड, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

18.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **सचिन उर्फ सचिन पंवार** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 26.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ सक्षम कपिल पुत्र मदान लाल का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी रवि कुमार द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि वह दिनांक 24.04.2026 को अपने घर पर था। वादी थ्रेशर से गेंहू निकालने का काम करता है। सचिन एक अज्ञात साथी के साथ मोटरसाईकिल से आया, और वादी से कहने लगा कि उसके 40 बीघा खेत के गेहूं निकालने है, जिसके लिए वादी ने मना करते हुए कहा कि इस बारे में सुबह बात करना, और तभी वादी ने अपने गेट की कुंडी बन्द कर ली तथा तभी सचिन ने तमंचा निकालकर वादी के उपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे वादी बाल–बाल बचा, और सचिन मौके से भाग गया। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वे निर्दोष हैं, उसे इस मामले में रंजिश के आधार पर झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी का उक्त घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब व वास्ता नही है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। कथित घटना में वादी को किसी प्रकार की कोई चोट नही है। प्रार्थी उक्त घटना के समय मौके पर मौजूद ही नही था, और न ही मौके से गिरफतार हुआ है, तथा न ही प्रार्थी से कुछ बरामद हुआ है। कथित बरामदगी झूठी एवं फर्जी है। प्रार्थी अन्य सभी मुकदमों में जमानत पर है। प्रार्थी दिनांक 26.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ

मिलकर वादी के उपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी के ऊपर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर करने तथा दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को गिरफतार किए जाने पर उसके कब्जे से उक्त घटना में प्रयुक्त एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद होने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं केस डायरी पर अंकित वादी रवि कुमार के बयान के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से वादी के ऊपर तमंचे से फायर करना अभिकथित है, परन्तु केस डायरी के अवलोकन से कथित घटना में वादी को किसी प्रकार की आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना दर्शित नही है। केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी होना दर्शित नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 26.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास में दर्शित अन्य मामलो में आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत पर होने का कथन किया गया है तथा अपने उक्त कथन के सन्दर्भ में आवेदक/अभियुक्त की ओर जमानत आदेश की प्रति दाखिल की गयी हैं।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सचिन उर्फ सचिन पंवार** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–18.06.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891